क्रम संख्या–107 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 22 सितम्बर, 2021 ई0

भाद्रपद 31, 1943 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 253/XXXVI (3)/2021/47(1)/2021

देहरादून, 22 सितम्बर, 2021

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **' आई एम एस यूनिसन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021"** पर दिनांक 18 सितम्बर, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 19 वर्ष, 2021** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

आई एम एस यूनिसन विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 19, वर्ष 2021)

आई एम एस यूनिसन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आई एम एस यूनिसन विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अधिनियम में संशोधन

2. आई एम एस यूनिसन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012(जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में:–

(i) "इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट स्टडीज" शब्द के स्थान पर जहां–जहां वे आते हैं "यूनिसन एजुकेशन फाउंडेशन" शब्द रखे जाऐगें;

(ii) "21 न्यू कैन्ट रोड़, हाथीबड़कला, देहरादून–248001" अंक, शब्द और चिह्न के स्थान पर "तृतीय तल, प्रशासनिक ब्लॉक, आई एम एस यूनिसन विश्वविद्यालय, ग्राम मक्कावाला, उत्तराखण्ड–248009" शब्द, अंक और चिह्न रख दिये जायेगें।

व्यावृत्ति

3. ऐसे संशोधन के होते हुए भी मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,

हीरा सिंह बोनाल,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

यूनिसन एजुकेशन फाउंडेशन के बैनर तले शिक्षा संस्थानों को बढ़ावा देने, प्रोत्साहित एवं स्थापित करने के उद्देश्य से आई एम एस यूनिसन विश्वविद्यालय की प्रायोजिक संस्था द्वारा अपना नाम यूनिसन एजुकेशन फाउण्डेशन करती है, उक्त विश्वविद्यालय की प्रयोजिक संस्था के नाम में संशोधन किया जाना समीचीन है।

2– प्रस्तावित विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

डा0 धन सिंह रावत
मंत्री